

पटना में दिनांक—01 जुलाई, 2026 बुधवार को अपराह्न 5:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

उच्च शिक्षा विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 1. | बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्य संचालन (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

कला एवं संस्कृति विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 2. | “सोमनाथ स्वाभिमान पर्व-1000 वर्ष की अटूट आस्था” के उपलक्ष्य में दिनांक-20.07.2026 को लगभग 1100 श्रद्धालुओं का दो दिवसीय “सोमनाथ यात्रा” का आयोजन कराने एवं उससे संबंधित सभी व्यवस्थाओं (यात्रा, लॉजिस्टिक व्यवस्था एवं अन्य संबंधित गतिविधियाँ) हेतु ₹2,50,00,000/- (दो करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र की व्यय की स्वीकृति के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

खान एवं भूतत्व विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 3. | बिहार राज्यान्तर्गत पत्थर भूखण्डों की बंदोबस्ती ई-नीलामी-सह-निविदा के माध्यम से कराये जाने हेतु समाहर्ता को शक्ति प्रत्यायोजित करने तथा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में आंकलित वार्षिक खनन योग्य पत्थर की मात्रा में स्वामिस्व दर से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर प्रथम वर्ष के लिए न्यूनतम सुरक्षित मूल्य का निर्धारण किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

ग्रामीण विकास विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 4. | विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत- जी राम जी) योजना, बिहार 2026 अंतर्गत कार्यरत अकुशल मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के संबंध में एक अकुशल मजदूर के प्रति सात घंटा काम के लिए लीड एवं लिफ्ट के साथ मिट्टी कटाई हेतु निर्धारित दर के स्वीकृति के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

ग्रामीण विकास विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 5. | विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण)(विकसित भारत-जी राम जी) योजना, बिहार 2026 के कार्यान्वयन हेतु बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी को समन्वय अभिकरण (Nodal Agency) के रूप में स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु गठित संस्थागत संरचना (Institutional Structure) को अधिकृत करने की स्वीकृति के संबंध में। | 5. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

गृह विभाग

(कारा)

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 6. | केन्द्रीय कारा, बक्सर की भूमि में से कुल 01 एकड़ 90 डी० (600 फीट X 138 फीट) भूमि, जिस पर वामन भगवान मंदिर अवस्थित है, को मंदिर के विकास, सौन्दर्यीकरण एवं इसमें प्रवेश हेतु सहज व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से वामन भगवान मंदिर हेतु चिन्हित कर कारा परिसर से पृथक किये जाने तथा कारा सुरक्षा को अप्रभावित बनाये रखने हेतु मंदिर परिसर के तीन तरफ से कंटीले तार सहित 14 (चौदह) फीट की चहारदीवारी का निर्माण कराने की अनुमति के संबंध में। | 6. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

नगर विकास एवं आवास विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 7. | पटना नगर निगम द्वारा ₹200 करोड़ (दो सौ करोड़) तक का निगम बॉण्ड जारी करने से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में। | 7. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 8. | “पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी” के कर्तव्य एवं दायित्वों के सफल निर्वहन एवं सोसाईटी के संचालन हेतु 01 (एक) नियमित पद एवं तकनीकी प्रकृति के 22 (बाईस) संविदा आधारित पद कुल-23 (तेईस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। | 8. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 9. | पटना जू के लिए पूर्व में सृजित कुल 29 (उनतीस) पदों का प्रत्यर्पण के संबंध में। | 9. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

पंचायती राज विभाग

- | | | | |
|-----|---|-----|----------|
| 10. | 16 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक भारत सरकार से प्राप्त होने वाली बेसिक एवं निष्पादन अनुदान कुल ₹51923.00 करोड़ (इक्कावन हजार नौ सौ तेईस करोड़ रुपये) मात्र की अनुदान की राशि को राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के बीच वितरण, उपयोग, क्रियान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। | 10. | स्वीकृत। |
|-----|---|-----|----------|

परिवहन विभाग

- | | | | |
|-----|---|-----|----------|
| 11. | बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अधीन 31 बस डिपो/स्टैण्ड को पी०पी०पी० मोड पर विकसित किये जाने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। | 11. | स्वीकृत। |
|-----|---|-----|----------|

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

12. गया जिलान्तर्गत डोभी अंचल के विभिन्न मौजा के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकवा-35.19 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, अनुसूची-1) अनावाद बिहार सरकार की भूमि अमृतसर-कोलकाता-इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर परियोजना अन्तर्गत एन०एच०-2 के डोभी मोड़ से चन्दाग्राम होते हुए बभनदेव जंगल के पास पक्की सड़क तक फोरलेन पथ निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।
12. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

13. पूर्णियाँ जिलान्तर्गत अंचल-पूर्णियाँ पूर्व, मौजा-मधुबनी, थाना सं०-123/1, खाता सं०-1443 के विभिन्न खेसरा की प्रस्तावित रकवा-05 एकड़ 15 वर्गकड़ी (भूमि विवरणी परिशिष्ट-I संलग्न) खासमहाल बिहार सरकार की भूमि नवीन केन्द्रीय विद्यालय के स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को एक रुपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।
13. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

14. नालन्दा जिलान्तर्गत अंचल-राजगीर, मौजा-पिलखी, थाना सं०-484 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकवा-05 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-I) लैण्ड बैंक हेतु अर्जित भूमि पर नवीन केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को एक रुपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।
14. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

15. बिहार नौकाघाट बंदोबस्ती एवं प्रबंधन नियमावली, 2026 की स्वीकृति के संबंध में।
15. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

16. श्रीमती सोनी कुमारी, तत्कालीन राजस्व अधिकारी -सह-कानूनगो, राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना सम्प्रति निलंबित को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14(XI) के तहत "सरकारी सेवा से बर्खास्तगी," जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का दण्ड अधिरोपित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
16. स्वीकृत।

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

17. बिहार बाह्य विज्ञापन नियमावली, 2026 के अनुमोदन के संबंध में।

17. स्वीकृत।

विधि विभाग

18. केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय, भोजपुर, (आरा) में 20 पी०ओ० आवास (G+5), अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आवास (टाईप-F), प्रधान न्यायाधीश, आवास (टाईप-G) एवं न्यायिक आवासीय परिसर के बाहरी चाहरदीवारी निर्माण कार्य के निमित्त कुल रु० -16,08,07,000/- (सोलह करोड़ आठ लाख सात हजार) रुपये प्राक्कलित राशि की विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या -5960, दिनांक-10.08.2023 द्वारा पूर्व प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की पुनरीक्षित करने के निमित्त 20 जजेज (पी०ओ०) आवास एवं ट्रांजिट कम-गेस्ट हाउस (G+6) के निर्माण के निमित्त रु०-1876.95 लाख रुपये, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आवास (F टाईप) के निर्माण के निमित्त रु०-137.56 लाख रुपये एवं प्रधान न्यायाधीश के आवास (G टाईप) के निर्माण के निमित्त रु०-145.36 लाख रुपये, अर्थात् कुल रु०-21,59,87,000/- (इक्कीस करोड़ उनसठ लाख सतासी हजार) रुपये की पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति।

18. स्वीकृत।

सिविल विमानन विभाग

19. बीरपुर हवाई अड्डा के विकास के लिए 88.83 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने हेतु राज्य स्कीम मद से अतिरिक्त अनुमानित मुआवजा राशि ₹29,56,99,196/- (उनतीस करोड़ छप्पन लाख निन्यानवे हजार एक सौ छियानवे रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

19. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

20. बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पटना के प्रभावशाली प्रशासन हेतु एक अपर प्रबंध निदेशक एवं एक महाप्रबंधक (ऑपरेशन एवं वित्त) अर्थात् कुल 02 (दो) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

20. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

21. राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण तथा अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय संस्थानों से कतिपय शर्तों एवं राज्य सरकार की गारंटी पर रु० 25,000.00 करोड़ (रु० पच्चीस हजार करोड़) का वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा) को प्राधिकृत करने की स्वीकृति के संबंध में।

21. स्वीकृत।

गन्ना उद्योग विभाग

22. राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में "गन्ना यंत्रिकरण योजना" के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इस हेतु कुल 3459.71 लाख रु० (चौत्तीस करोड़ उनसठ लाख इकहत्तर हजार रुपये मात्र) निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। 22. स्वीकृत।

गन्ना उद्योग विभाग

23. वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत "बीज विकास योजना" के कार्यान्वयन हेतु कुल 3793.05 लाख रु० (सैंतीस करोड़ तिरानवें लाख पाँच हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। 23. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

24. बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को विभाग द्वारा स्वीकृत एवं हस्तांतरित परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संस्थानों से कतिपय शर्तों एवं राज्य सरकार की गारंटी पर रु० 15,000.00 करोड़ (पन्द्रह हजार करोड़ रुपये), बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (BSRDCL) एवं रु० 6,000.00 करोड़ (छः हजार करोड़ रुपये), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (BRPNL) को वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करने के संबंध में। 24. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

25. बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2026 [Bihar Road User Fees (Determination of Rates and Collection) Rules 2026] को अंगीकृत करने के संबंध में। 25. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

26. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज, 2025 की अवधि विस्तार दिनांक-31 दिसम्बर, 2026 अथवा नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2026 लागू होने की तिथि, जो भी पहले हो तक किये जाने के संबंध में। 26. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

27. मधेपुरा जिलान्तर्गत अंचल-मधेपुरा, मौजा-साहूगढ़, थाना सं०-60 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकवा-05 एकड़ 50 डी० 156 वर्ग कड़ी (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-I) सरकारी भूमि पर नवीन केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को 1 रुपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। 27. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

28. मधुबनी जिलान्तर्गत अंचल-राजनगर, मौजा-महिनाथपुर, थाना सं०-189, खाता सं०-01, खेसरा सं०-385 की कुल प्रस्तावित रकवा-05 एकड़ बिहार सरकार की भूमि पर नवीन केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को एक रुपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

28. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

29. शेखपुरा जिलान्तर्गत अंचल-शेखोपुरसराय के मौजा-नीमी, थाना सं०-10, खाता सं०-527, खेसरा सं०-4506 की कुल प्रस्तावित अतिरिक्त रकवा-47.847 डी० गैरमजरूआ मालिक बालू भूमि पर केन्द्रीय विद्यालय, शेखोपुरसराय (शेखपुरा) के भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को एक रुपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

29. स्वीकृत।